

23-02-21.

वकील अपीलान्त उपर। मूल अपील पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता द्वारा पत्रावली को नोट प्रैस में स्वारिज करने का निवेदन किया। हस्ताक्षर कराये गये। हमने भी मूल अपील पत्रा. का अवलोकन किया। निवेदन स्वीकार कर पत्रावली 'नोट प्रैस' में स्वारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम की जावे बाद जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी  
पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर (राज.)

का  
Not-press  
24/2